

संचिका सं०-10/सा०स्वा० केन्द्र-07-3/2019

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-1176(10), दिनांक-27.02.2019 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. राज्यादेश के कॉलम संख्या-3 में अंकित "इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष-0101-रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड-20-4210021030101, विषय शीर्ष- (53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।" के स्थान पर "इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष-0101-रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड-20-4210021030101, विषय शीर्ष- (53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से तथा अवशेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।" पढ़ा जाय।

3. शेष यथावत रहेंगे।




(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।
Rajeshyam

ज्ञापांक:-10/सा०स्वा० केन्द्र-07-3/2019 1194(10) स्वा०, पटना, दिनांक:-07/03/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना / कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।
Rajeshyam